

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/न्याय-01-36/2015- /स्वा0, पटना, दिनांक / /2019

डा0 उमाशंकर मधुप, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, हाजीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त क्षेत्रीय उप निदेशक, सारण, छपरा द्वारा सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना दिनांक 19.08.2010 से 27.01.2012 तक क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण प्रमंडल, छपरा के कार्यालय में बिताये गये अवधि जहाँ उपस्थिति का कोई साक्ष्य भी नहीं है, को " कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के आधार पर उक्त अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित किया जाता है जो पेंशन प्रदायी नहीं होगा ।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :

906(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 11/8/19

प्रतिलिपि : श्री अजीत कुमार, सरकारी अधिवक्ता-09, को वाद संख्या 8110/2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सारण, छपरा, सिविल सर्जन, सारण, छपरा/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, हाजीपुर, (वैशाली) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : डा0 उमाशंकर मधुप, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, हाजीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त क्षेत्रीय उप निदेशक, सारण, छपरा । पत्राचार का पता-मोहल्ला-राजीवनगर, गौशाला रोड, डाकघर-सिवान, थाना-सिवान मुफ्सील, जिला-सिवान, पिन-841227 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : विभागीय प्रशाखा-2, 3, 7,8, 9, 10 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव